न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 32/2016 जीसीएमएस संख्या 2016/00129

1. रामचन्द्र पुत्र श्री हरिनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम मल्लाणा, तहसील राजगढ, जिला अजवर, राज।

—अपीलांट

बनाम

1. जगदीश पुत्र उमराव जाति मीणा
2. छुट्टन पुत्र रामसिहं
3. सुखराम पुत्र ख्यालीराम
4. प्रेमचंद पुत्र ख्यालीराम
5. लालाराम पुत्र ख्यालीराम
6. भगवती देवी पत्नी श्री ख्यालीराम
7. कलावती पुत्री श्री ख्यालीराम
8. लाली पुत्री श्री ख्यालीराम
9. इन्द्रा देवी पुत्री श्री ख्यालीराम
10. मंजू पुत्री श्री ख्यालीराम समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खेडा मिर्जापुर, तहसील रैणी, जिला अलवर।
11. ग्राम पंचायत शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर जरिये सरपंच

—रेस्पोडेण्ट्स्

प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राज. ले. रे. एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय दिनाक 22.01.2016 तहसीलदार जी, तहसील चाकसू बमुकदमा सं. 43/2015 उनवानी रामचन्द्र बनाम जगदीश

उपस्थित—

1. श्री जयसिंह राजावत वकील अपीलान्ट
2. श्री निर्मल कुमार जैन रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 10 की ओर से।

अपील संख्या 52/2016 जीसीएमएस संख्या 2016/00130

1. रामचन्द्र पुत्र श्री हरिनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम मल्लाणा, तहसील राजगढ, जिला अजवर, राज।

—अपीलांट

बनाम

1. छुट्टन पुत्र रामसिंह
2. जगदीश पुत्र उमराव
3. सुखराम पुत्र ख्यालीराम
4. प्रेमचंद पुत्र ख्यालीराम
5. लालाराम पुत्र ख्यालीराम
6. भगवती देवी पत्नी श्री ख्यालीराम

7. कलावती पुत्री श्री ख्यालीराम
8. लाली पुत्री श्री ख्यालीराम
9. इन्द्रा देवी पुत्री श्री ख्यालीराम
10. मंजू पुत्री श्री ख्यालीराम समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खेडा मिर्जापुर, तहसील रैणी, जिला अलवर।
11. ग्राम पंचायत शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर जरिये सरपंच

—रेस्पोडेण्ट्स्

प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राज. ले. रे. एक्ट 1956 विरूद्ध आंशिक संशोधित नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 25.01.2016 तहसीलदार चाकसू द्वारा तस्दीक किया गया।

उपस्थित—

3. श्री जयसिंह राजावत वकील अपीलान्ट
4. श्री निर्मल कुमार जैन रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 10 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —16.05.2024

1. यह दोनो अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 22.01.2016 एवं आंशिक संशोधित नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 25.1.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनो प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनो प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक अपील ग्राम पंचायत शिवदासपुरा के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 103 निर्णय दिनांक 20.4.2013 को निरस्त कर तहसीलदार चाकसू को रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर तहसीलदार चाकसू द्वारा ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 385, 386, 387 कुल किता 3 रकबा 1.04 हैक्टेयर में हिस्सा 4/5 तथा खसरा नम्बर 388, 389, 390, 391, 392, 395, 396, 399, 400, 401, 402 कुल किता 11 रकबा 1.70 हैक्टेयर में हिस्सा 25/134 तथा खसरा नम्बर 362,397 कुल किता 2 रकबा 0.07 है. में हिस्सा 7/8 तथा खसरा नम्बर 359, 360, 361, 398, कुल किता 4 रकबा 0.65 है. में हिस्सा 7/8 शामिल में मृतक खातेदार कल्याणदास के स्थान पर अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 10 जगदीश वगैरह को विधिक वारिस माना जाकर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिनांक 22.01.2016 को दिए गये एवं आंशिक संशोधित नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 25.1.2016 तस्दीक किया गया।

3. तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.01.2016 एवं आंशिक संशोधित नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 25.1.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामचन्द्र पुत्र श्री हरिनारायण द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 22.01.2016 व संशोधित नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 25.1.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. उक्त दोनो अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम किलकीपुरा उर्फ बिहारीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित उक्त वादग्रस्त भूमि के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार कल्याणदास चेला जगदेवदास जाति मीणा तहसील राजगढ, जिला अलवर थे। कल्याणदास जी जन्म से ही श्री श्री 1008 श्री दंडवती बाबा श्री जगदेवदास के शिष्य बन गये थे। उदासीन सम्प्रदाय के महात्मा होने से घर परिवार से इनका कोई सरोकार नही रहा और बचपन में ही साधु बन गये थें और ये अविवाहित नाऔलाद फौत हो गये वादग्रस्त भूमि कल्याणदास चेला जगदेववदास की स्वअर्जित भूमि थी। उक्त भूमि भक्तो के सहयोग से स्वंय की एंव आश्रम की, भक्तो द्वारा एकत्रित धनराशि से क्रय की गयी थी। उक्त भूमि पर काली कमली वाले के नाम से आश्रम बना हुआ है। अपीलान्ट, कल्याण दास जी महाराज का बचपन से ही शिष्य रहा है एवं मुझ अपीलान्ट की सेवा सुश्रुषाओ से प्रसन्न होकर उन्होने अपने जीवनकाल में ही दिंनाक 18.4.2012 को एक वसीयत मेरे हक में निष्पादित कर नोटेरी के प्रमाणित करवा दी। जो किसी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही की गयी है। कल्याणदास जी महाराज का स्वर्गवास होने के पश्चात मैं अपीलान्ट वसीयत के आधार पर उनकी खातेदारी भूमि का स्वतः ही मालिक एंव स्वामी हो जाता हूँ एंव उक्त भूमि पर मैं अपीलान्ट काबिज काश्त चला आ रहा हूं और इसका नामान्तकरण वसीयत के आधार पर मेरे हक में खोला जाना चाहिये था। लेकिन रेस्पाडेन्टस ने ग्राम पंचायत शिवदासपुरा, तहसील चाकसू से सांज करके नामान्तकरण सं. 103 दिनाक 20.4.2013 अपने नाम तस्दीक करवा लिया, जिसकी अपील अपीलान्ट ने उप खंड अधिकारी जी चाकसू के यहां पेश की, जिस पर उप खंड अधिकारी जी ने नामान्तकरण की अपील दिनाक 01.10.2015 को स्वीकार कर तहसीलदार जी चाकसू को पुनः निर्णित करने के लिये रिमाण्ड कर दिया। जिस पर तहसीलदार जी चाकसू ने अपने निर्णय दिनाक 22.1.2016 को रेस्पोडेन्टस के हक में नामान्तकरण खोलने का आदेश प्रदान कर दिया। उक्त वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत साबित है जिस पर दो से अधिक गवाहो कानाराम, करण सिहं, बाबा भयनदास, बालमुनि, शंकरलाल, कैलाश के हस्ताक्षर है। महाराज ने अपने पंजाब नेशनल बैंक शाखा टहला, अलवर के खाते में मुझ अपीलान्ट को दिनाक 23.6.2009 को नॉमिनी बना रखा था। नॉमिनी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को ही बनाया जाता है अपीलान्ट के महाराज के साथ के बचपन के फोटोग्राफस है। इसके बावजूद भी मातहत न्यायालय ने अपने निर्णय में फाइडिंग दी है कि अपीलान्ट का कल्याणदास जी महाराज से कोई संबध नही है। मातहत न्यायालय ने अपने निर्णय में रेस्पोडेन्टस को कल्याण दास जी महाराज का प्रथम श्रेणी का वारिस माना है। साधू का परिवार से कोई संबध नही होता है। रेस्पोडेन्टस कल्याण दास जी महाराज के किसी भी श्रेणी के वारिस नही है। साधू बनने से पूर्व की संपति अगर कोई है तो उसके वारिस उसके परिवार वाले होते है । अगर साधू बनने के बाद वह कोई संपति अर्जित करता है तो उस संपति से परिवार का कोई संबंध नही होता है। वसीयतकर्ता ने उक्त वसीयत स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की दशा में, बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से, सोच समझ कर तहरीर की है एंव वसीयत को दो से अधिक गवाहो द्वारा अनुप्रमाणित करवाया गया है। इस प्रकार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कानून की मनसा के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्टस को कल्याणदास जी महाराज का प्रथम श्रेणी का वारिस मानकर मातहत न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर दिनांक 22.01.2016 एवं संशोधित नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 25.1.2016 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के खातेदार मृतक श्री कल्याणदास जी महाराज उनके पूर्वज थे जिनके अप्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के वारिस है जो सही है तथा प्रार्थी द्वारा तथाकथित वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है क्योंकि प्रथमपक्ष को मूल वसीयत पेश करनें हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक उक्त वसीयत श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई है जिससे स्पष्ट है कि उक्त श्री कल्याणदास जी महाराज द्वारा कोई वसीयत नहीं की गई है । उसका स्व0 कल्याणदास जी की स्वअर्जित भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। अपीलांट ना तो स्व0 कल्याणदास जी का विधिक उत्तराधिकारी है ना ही सन्यासी प्रथा अनुसार कथित रूप से चेला है बल्कि अपीलार्थी एक रिटायर्ड गिरदावर है जिसने कूटरचित वसीसत बना कर जमीन हडपने का प्रयास किया है। अतः प्रार्थी का उक्त कथन मिथ्या एवं फर्जी है क्योंकि जब उक्त वसीयत के सम्बन्ध में जब हमें जानकारी हुई तो हमें ज्ञात हुआ कि वसीयत में स्टाम्प विक्रेता घनश्याम जैन से स्टाम्प क्रय किया जाना बताया गया है जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण द्वारा उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक से किये जानें पर उक्त कार्यालय द्वारा लिखित वर्ष 2012–13 में उक्त मुद्रांक विक्रेता को अनुज्ञापत्र जारी नहीं होना बताया गया जिससे स्पष्ट है कि उक्त वसीयत दिनांक 18.4.2012 फर्जी है। इस कारण अप्रार्थीगण ही कल्याणदास जी महाराज के प्रथमश्रेणी के उत्तराधिकारी हैं जो सही होने के कारण ही ग्राम पंचायत द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही नामान्तरकरण स्वीकार किया गया एवं बाद में तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर द्वारा भी प्रकरण 135(2) भू–राजस्व अधिनियम में दर्ज कर विधिवत् ही सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत मृतक खातेदार स्व0 कल्याणदास जी के विधिक जायज वारिसान् के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये दोनो अपीलें खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा ग्राम पंचायत शिवदासपुरा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 103 निर्णय दिनांक 20.4.2013 को निरस्त कर तहसीलदार चाकसू को रिमाण्ड किये जाने पर तहसीलदार चाकसू द्वारा ग्राम किलकीपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित उक्त आराजी के मृतक खातेदार कल्याणदास के स्थान पर अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 10 जगदीश वगैरह को विधिक वारिस माना जाकर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिनांक 22.01.2016 को दिए गये ऐसी स्थिति में प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार स्व0 कल्याणदास की विरासत को लेकर है। यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मृतक कल्याणदास की क्रयशुदा सम्पत्ति है। प्रार्थी रामचन्द्र द्वारा वादग्रस्त

सभागीय आयुक्त
जयपुर

आराजी पर अरजिस्ट्रर्ड नोटेरी प्रमाणित वसीयत दिनांक 18.4.2012 के आधार पर नामान्तरकरण हेतु अपील प्रस्तुत की है। प्रकरण में वसीयत चूंकि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त मूल वसीयत गुम होना बताया गया है तथा उसकी फोटोप्रति न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही मृतक खातेदार स्व0 श्री कल्याणदास की स्वअर्जित सम्पति के संबंध में पुनः सुनवाई व जाँच उपरान्त ही प्रकरण में प्रार्थी द्वारा न्यायालय में उक्त कथित अनरजिस्टर्ड वसीयत की मूल वसीयत पेश नहीं करने एवं छायाप्रति प्रस्तुत करने की दशा में वसीयत की प्रामाणिकता संदेहास्पद मानते हुये नामान्तरकरण विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 22.01.2016 एवं संशोधित नामान्तरकरण संख्या 103 दिनांक 25.1.2016 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर